

‘ई-प्रोसीडिंग्स’ पर टिप्पणी

Note on ‘e-Proceedings’

(अंतर्राष्ट्रीय कराधान व केन्द्रीय प्रभार के मुद्दों के लिए)

(For cases under International Taxation and Central Charges)

1. ई-गवर्नेंस पहल के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन के लिए, आयकर विभाग ने ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ सुविधा विकसित की है। यह निर्धारिती व विभाग के बीच, बिना परेशानी के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आयकर कार्यालय के दौरे की आवश्यकता के बिना, निर्धारण कार्यवाही के संचालन के लिए संचार का एक सरल तरीका है। निर्धारण कार्यवाही अब कागज रहित हो गई है अतः यह नई सुविधा पर्यावरण अनुकूल भी है।

As a part of e-governance initiative, to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has developed the ‘e-Proceedings’ facility. It is a simple way of communication between the Department and assessee in a hassle-free manner, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This new facility is also environment friendly as assessment proceedings have now become paperless.

2. ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ सुविधा के माध्यम से निर्धारण कार्यवाही में, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारितियों के ई-फाइलिंग खाते में पत्र, नोटिस, प्रश्नावली, आदेश आदि का सहज प्रवाह होता है। विभागीय संचार प्राप्त होने पर, निर्धारिती ई-फाइलिंग पोर्टल पर, अपनी प्रतिक्रिया संलग्नक, यदि कोई है, के साथ, अपलोड करके प्रस्तुत करने में सक्षम है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखी जाती है। इस प्रकार, कर दाता के बहुमूल्य समय को बचाने के अलावा, ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ निर्धारण कार्यवाही के दौरान विभागीय प्रश्नों के जवाब 24X7 कभी भी / कहीं भी देने के लिए सुविधा भी प्रदान करता है।

In assessment proceedings through the ‘e-Proceedings’ functionality, there is a seamless flow of letters, notices, questionnaires, orders etc. from Assessing Officer to assessee’s e-Filing account. On receipt of Departmental communication, assessee is able to submit his response along with attachments, if any, by uploading the same on the e-Filing portal. The response submitted by the assessee is also viewed by the Assessing Officer electronically. Thus, besides saving precious time of the taxpayer, ‘e-Proceedings’ also provides a 24X7 anytime/anywhere convenient facility to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings.

3. ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ सुविधा के माध्यम से की जा रही कार्यवाही में, निर्धारिती अपने ई-फाइलिंग खाते में निर्धारण कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी ई-सबमिशन की पूरी जानकारी रखता है, जो कि संदर्भ और रिकार्ड उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी है।

In proceedings being carried out through the ‘e-Proceedings’ facility, assessee retains complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings in his e-filing account, which is very useful for reference & record purposes.

4. ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ के मामलों में, निम्नलिखित स्थिति में व्यक्तिगत सुनवाई / उपस्थिति हो सकती है:
 - I. जहां खतों की जांच की जानी है; या
 - II. जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 का प्रावधान लागू किया गया है; या
 - III. जहां गवाह की परीक्षा निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा की जानी है; या
 - IV. जहां किसी भी प्रतिकूल दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और निर्धारिती मामले को समझाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करता है।

In cases under 'e-Proceedings', physical hearing/attendance may take place in following situation(s):

- I. where books of accounts have to be examined; or
- II. where provision of section 131 of Income-tax Act, 1961 has been invoked; or
- III. where examination of witness is to be made by assessee or Assessing Officer; or
- IV. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter.

5. जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, नोटिस की प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, तो निर्धारिती द्वारा 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।

The response to the notice, if any, is to be submitted to the Assessing Officer by the assessee through 'e-Proceedings' facility, as mentioned above.

6. ऐसे कर दाता अनुकूल उपाय ने निर्धारिती के लिए अनुपालन बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है। जिन निर्धारितियों के पास अभी तक ई-फाइलिंग खाता नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे वेबसाइट <https://www.incometax.gov.in> के होम पेज पर जाकर खुद को पंजीकृत करवाएं।

This taxpayer friendly measure has substantially reduced the compliance burden for assesseees. The assesseees who do not yet have an e-Filing account, are requested to get themselves registered by visiting the home page of website <https://www.incometax.gov.in> .

‘पहचान विहीन निर्धारण’ पर टिप्पणी
Note on ‘Faceless-Assessment’

(पहचान विहीन निर्धारण के अन्तर्गत मुद्दों के लिए)
(For cases under faceless assessment)

पहचान विहीन निर्धारण देश में एक कुशल और पारदर्शी कर व्यवस्था लाने की दिशा में एक अगला कदम है। पहचान विहीन निर्धारण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

Faceless Assessment is a step forward towards bringing in an efficient and transparent tax regime in the country. The salient features of Faceless Assessment are as under:

- i. केंद्रीकृत तरीके से पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (रापविनिके) की स्थापना की गयी है।
A National Faceless Assessment Centre (NaFAC) has been set up to facilitate the conduct of Faceless Assessment proceedings in a centralized manner.
- ii. इसके अलावा पहचान विहीन निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न निर्धारण इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ, समीक्षा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
Further to facilitate the conduct of Faceless Assessment various Assessment Units, Verification Units, Technical Units, Review Units have been set-up.
- iii. पहचान विहीन बनाने के उद्देश्य से निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किए जाएंगे।
All communication with the assessee or any other person for the purpose of making faceless shall be made in electronic mode.
- iv. एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भेजकर रापविनिके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को संबंधित इकाइयों द्वारा उनके डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उद्भूत एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा, यदि उससे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा, और किसी अन्य मामले में उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के अधीन अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो।
An electronic record shall be authenticated by the NaFAC by sending it through electronic communication while an electronic record shall be authenticated by respective Units by their digital signature. An electronic record originated by the assessee or any other person shall be authenticated by affixing his digital signature if he is required under the rules to furnish his return of income under digital signature and in any other case affixing his digital signature or under electronic verification code.
- v. प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार निर्धारिती को निम्न माध्यम से दिया जाएगा –
 - (क) निर्धारिती के पंजीकृत खाते में उसकी एक प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराकर; या
 - (ख) निर्धारिती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ई मेल पते पर उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर; या
 - (ग) निर्धारिती के मोबाइल ऐप पर एक प्रमाणित प्रति अपलोड करके और एक वास्तविक समय सूचना भेजकर;

Every notice, order or any other electronic communication shall be delivered to the assessee by way of –

- a) Placing an authenticated copy thereof in the assessee’s registered account or

- b) Sending an authenticated copy thereof to the registered e-mail address of the assessee or his authorized representative or
- c) Uploading an authenticated copy on the assessee's Mobile App and followed by a real time alert.
- vi. निर्धारिती अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से किसी भी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट <https://www.incometax.gov.in> पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा, और एक बार राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा पावती, जिसमें प्रतिक्रिया के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हैश परिणाम है, भेजी जाती है तो प्रतिक्रिया को प्रमाणित माना जाएगा ;
- The assessee shall file his response to any notice or order or any other electronic communication through his registered account on the e-filing website www.incometax.gov.in and once an acknowledgement is sent by the National Faceless Assessment Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authorized.
- vii. किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र या किसी इकाई के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई निम्न स्थितियों में, तकनीकी रूप से साध्य सीमा तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयोजित की जाएगी:
- A person is not required to appear before the Centre or any unit either personally or through authorized representative. Personal hearing, if required, shall be conducted through video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in following situation(s):
- i. ऐसे मामले में जहां आय या हानि में संशोधन प्रस्तावित है, निर्धारिती या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकता है ताकि संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक उत्तर दे सके या अपना मामला प्रस्तुत कर सके और संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण ऐसी सुनवाई की अनुमति प्रदान करेंगे। (व्यक्तिगत सुनवाई का निवेदन करने की प्रक्रिया इस नोट के अंत में उपलब्ध है।)
- In a case where a variation is proposed in the income or loss returned, the assessee or his authorized representative, as the case may be, may request for personal hearing on the e-filing portal www.incometax.gov.in so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority of the relevant unit and the income-tax authority of the relevant unit shall allow such hearing. (Procedure for seeking of personal hearing is available at the end of this note.)
- ii. जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति (अधिनियम की धारा 133क के तहत सर्वेक्षण के दौरान दर्ज किए गए बयान के अलावा) के बयान की कोई जांच या बयान दर्ज करना आवश्यक है।
- Where any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the cause of survey under section 133A of the Act) is required.
- viii. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (रापविनिके), मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर, यदि आवश्यक समझता है, तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले को उस मामले पर अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है।
- Pr.CCIT(NaFAC) may, at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case, with the prior approval of the Board.
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिनियम की धारा 144 ख www.incometaxindia.gov.in पर देखें।
For further details, please refer to Section 144B of the Act at www.incometaxindia.gov.in.

व्यक्तिगत सुनवाई का निवेदन करने की प्रक्रिया

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध

- चरण 1: निर्धारिती 'ई-फाइलिंग' पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगऑन करें।
- चरण 2: निर्धारिती "लंबित कार्रवाइयाँ" मेन्यू के अंतर्गत "ई-कार्यवाही" का चयन करें। कार्यवाही ब्यौरे को तीन टैब के तहत वर्गीकृत किया गया है - "स्वयं", "अन्य पैन/टैन का" और "प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में" निर्धारिती प्रयोज्य टैब का चयन कर सकते हैं।
- चरण 3: कार्यवाही का ब्यौरा, जैसे कार्यवाही का नाम, निर्धारण वर्ष, पैन, कार्यवाही परिसीमा की तिथि, कार्यवाही की समापन तिथि दिखाने वाली एक स्क्रीन दिखाई देगी।
- चरण 4: निर्धारिती सूचना का ब्यौरा देखने के लिए, कार्यवाही के "सूचना देखें" बटन पर क्लिक करें। कार्यवाही का अतिरिक्त ब्यौरा जैसे सूचना/ संचार संदर्भ आई.डी., सूचना अनुभाग, सूचना विवरण, दस्तावेज़ की आई.डी., सूचना जारी करने की तिथि, प्रतिक्रिया की नियत तिथि प्रदर्शित की जाएगी।
- चरण 5: निर्धारिती किसी विशेष सूचना के सामने "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खोजें" बटन पर क्लिक करें। सूचना के ब्यौरे के साथ एक नई स्क्रीन खुलेगी। निर्धारिती फ़िल्ड 'वीडियो कॉन्फ्रेंस का निवेदन का कारण' के तहत ड्रॉप-डाउन मेन्यू से उपयुक्त मद का चयन करें, टेक्स्टबॉक्स में कारण का ब्यौरा दर्ज करें और सुसंगत दस्तावेज़ संलग्न करें (यदि कोई हो)।
नोट: "वीडियो कॉन्फ्रेंस का निवेदन करें" बटन केवल फेसलेस असेसमेंट मामलों के तहत, निर्धारिती/तीसरे पक्ष को जारी धारा 131(1)(b) के तहत कारण बताओ नोटिस/समन के संबंध में उपलब्ध होगा।
- चरण 6: निर्धारिती "जमा करे" बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक अनुरोध जमा होने के पुष्टीकरण का एक संदेश प्रदर्शित होगा।

2. फेसलेस असेसमेंट यूनिट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुरोध की स्वीकृति के बाद

- फेसलेस असेसमेंट यूनिट के रिकॉर्ड पर उपलब्ध निर्धारिती की ईमेल आईडी पर 'वी.सी. शेड्यूल्ड' पत्र भेजा जाएगा और निर्धारिती स्वतंत्र रूप से आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से 'वी.सी. शेड्यूल्ड' पत्र भी डाउनलोड कर सकता है। 'वी.सी. शेड्यूल्ड' पत्र में निर्धारित तिथि और समय तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग URL का ब्यौरा होगा।
- ई-कार्यवाही टैब के तहत 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' की स्क्रीन पर, निर्धारिती बदले हुए स्टेटस को 'स्वीकृत' के रूप में और वी.सी. की निर्धारित तिथि और समय देख पाएंगे।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक एस.एम.एस. द्वारा भी शेयर किया जाएगा और इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुरोध को स्थगित करने का निवेदन

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए चरण 1 से 4 का अनुसरण करें
- चरण 5: निर्धारिती विनिर्दिष्ट सूचना के सामने "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खोजें" बटन पर क्लिक करें। पहले सबमिट किए गए अनुरोध के ब्यौरे के साथ एक नई स्क्रीन खुलेगी। निर्धारिती 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्थगन का निवेदन करें' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 6: निर्धारिती 'वीडियो कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने के निवेदन का कारण' चुने तथा उससे संबंधित ब्यौरा दर्ज करें और अनुरोध जमा करें।

- एक बार फेसलेस असेसमेंट यूनिट द्वारा स्थगन अनुरोध को स्वीकृति मिलने के बाद, अपडेटेड स्टेटस के साथ नया लाइन मद, वी.सी. निर्धारित तिथि और समय, अन्य ब्यौरे के साथ लिंक ई-कार्यवाही टैब के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणी:

- वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के सफल संचालन के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग लिंक, ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-कार्यवाही मेन्यू के तहत उपलब्ध होगा।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस के स्थगन का अनुरोध केवल एक बार किया जा सकता है और यह अनुरोध वीडियो कॉन्फ्रेंस के निर्धारित समय या प्रतिक्रिया की नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक किया जा सकता है।

Procedure for seeking personal hearing

1. Seeking personal hearing through Video Conferencing

- **Step 1:** The Assessee shall Logon to the ‘e-Filing’ portal www.incometax.gov.in
- **Step 2:** The Assessee shall select "e-Proceeding" under "Pending Actions" menu. Proceeding details are classified under three tabs "Self", "Of Other PAN/TAN" & "As Authorized Representative". The Assessee can select applicable tab.
- **Step 3:** A screen showing details of proceedings such as proceeding name, assessment year, PAN, proceeding limitation date, proceeding closure date will appear.
- **Step 4:** The Assessee shall click on "View Notice" button of proceeding to view notice details. Additional proceeding details such as notice/communication reference id, notice section, notice description, document id, notice issue date, response due date, will be displayed.
- **Step 5:** The Assessee shall click on “Seek Video Conferencing” button against a particular notice. A new screen will open with details of notice. The Assessee shall select appropriate item from drop-down menu under the ‘Reason for seeking video conferencing’ field, enter details of the reason in the textbox and attach relevant document (if any).
Note: “Seek Video Conferencing” button will be available only in respect of Show-cause notice/Summons u/s 131(1)(b) issued to Assessee/third party in cases under faceless assessment.
- **Step 6:** The Assessee shall click on “Submit” button. A success message will be displayed confirming the submission of request.

2. Post approval of Video Conferencing Request by Faceless Assessment Unit

- ‘VC Scheduled’ letter shall be served on the email id of the Assessee available on records with Faceless Assessment Unit and the Assessee can also independently download ‘VC Scheduled’ letter from Income Tax e-Filing portal. ‘VC Scheduled’ letter will contain details of scheduled Date & time and Video conferencing URL.
- On the ‘Video Conferencing’ screen under e-Proceedings tab, the Assessee shall be able to see changed status as ‘Approved’ & VC Scheduled Date & Time.
- Video conferencing link shall also be shared by SMS and same will also be updated on e-filing portal.

3. Seeking adjournment of Video Conferencing Request

- Follow steps 1 to 4 of Seeking personal hearing through Video Conferencing

- **Step 5:** The Assessee shall click on “Seek Video Conferencing” button against a specific notice. A new screen will open with details of earlier submitted request. The assessee shall click on ‘Seek Adjournment of video conferencing’ button.
- **Step 6:** The Assessee shall select ‘Reason for Seeking adjournment of Video Conferencing’ and enter relevant details and submit request.
- Once the adjournment request is approved by the Faceless Assessment Unit, new line item with Updated status, VC Scheduled Date & Time, Link along with other details be displayed in e-Filing portal under e-Proceedings tab.

Note:

- After successful conduct of personal hearing through Video Conferencing, Video conferencing Recording link will be available on e-Filing portal under e-Proceedings menu.
- Video conferencing adjournment can be sought only once for a notice and the same can be sought up to the VC Scheduled time or response due date, whichever is earlier.
